न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

1. श्रीमती अंजना दुबे पत्नी श्री अमित दुबे
2. अमित दुबे पिता जयहिन्द दुबे

निवासीगण मौहल्ला रंगेरवाडी सारंगपुर

जिला–राजगढ़

विरूद्व

श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री अनिल कुमार महाजन

निवासी ब्लॉक कॉलोनी सारंगपुर जिला–राजगढ़

अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/15–16/अ–13 में पारित आदेश दिनांक 05–01–2016 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहीं अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र से ही यह प्रमाणित हो जाता है कि उसका प्रकरण संहिता की धारा–131 के अंतर्गत नहीं आता है.

3. यह कि, अनावेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में अपने पति अनिल कुमार का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था अनिल कुमार द्वारा दिये गये शपथ पत्र के अनुसार अनावेदक अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये समीपस्थ कृषक की भूमि सर्वे क्रमांक 200 में से रास्ते का उपयोग करती रहीं है ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय के आदेश का आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील के निराकरण तक स्थगित न करने में अनुविभागीय अधिकारी ने गंभीर भूल की है.

4. यह कि, तहसील न्यायालय के आदेश को पढ़ने मात्र से प्रमाणित हो जाता है कि तहसीलदार ने स्वयं स्थल का निरीक्षण नहीं किया केवल पटवारी द्वारा प्रस्तुत स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर अंतिम आदेश पारित किया है जबकि संहिता की धारा–131 के अंतर्गत आवेदन का निराकरण करने के पूर्व तहसीलदार को स्वयं स्थल निरीक्षण करना आवश्यक है जैसा कि 2014 रेवेन्यू निर्णय पेज 425, 1997 रेवेन्यू निर्णय पेज 10, 1996 रेवेन्यू निर्णय पेज 333 एवं 1972 रेवेन्यू निर्णय पेज 190 में अवधारित किया गया है.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निग./184/तीन/2016 जिला- राजगढ

अंजना दुबे आदि विरूध कृष्णा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सांरगपुर जिला राजगढ के प्रकरण क्रमांक 11/2015-16/अ-13 में पारित आदेश दिनांक 5/01/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला राजगढ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 16/7/19 को कलेक्टर जिला राजगढ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	